



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-19.06.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-30/1997 धारा 379,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गिरीश कुमार सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी तारापुर थाना लंका जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-18.06.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त गिरीश कुमार सिंह उपरोक्त को अंतर्गत धारा 379,411 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि (01 माह 06 दिन) व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।